भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 496

जिसका उत्तर 25 जुलाई, 2024 को दिया जाना है।

.....

यमुना नदी की सफाई

496. श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान दिल्ली में यमुना नदी की सफाई के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दिल्ली सरकार को कुल कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है;

(ख) उन शीर्षों का ब्यौरा जिनके तहत यह धनराशि व्यय की गई;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को दिल्ली सरकार द्वारा इस संबंध में व्यय की गई धनराशि का कोई लेखा प्रस्तुत किया गंया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा दिल्ली सरकार को उपरोक्त धनराशि आवंटित किए जाने के पश्चात यमुना नदी की सफाई किस सीमा तक की जा सकती है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री राज भूषण चौधरी)

(क): जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) ने दिल्ली में यमुना नदी की सफाई से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों के लिए विगत पांच वित्तीय वर्षों (वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24) के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को कुल 1,091.05 करोड़ की राशि जारी की है।

(ख): एनएमसीजी द्वारा 1,951 करोड़ रूपये की लागत वाली नौ (9) परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। जिन शीर्षों के अंतर्गत निधियां व्यय/आवंटित की गई उनका परियोजना-वार विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ग): दिल्ली जल बोर्ड ने एनएमसीजी से प्राप्त अनुदानों के संबंध में सामान्य वित्तीय नियमावली के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है। एनएमसीजी द्वारा दिये गये सहायता अनुदान और उनके संबंध में उपलब्ध कराये व्यय/उपयोगिता प्रमाण-पत्र एनएमसीजी के वार्षिक लेखाओं का एक भाग है जिन्हें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा संपरीक्षित किया जाता है। एनएमसीजी, के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है।

(घ): यमुना नदी के प्रदूषण को कम करने की दिशा में इन परियोजनाओं के अंतर्गत 35 किलोमीटर लंबी नई ट्रंक सीवर लाइन बिछाने के साथ-साथ पुरानी ट्रंक सीवर लाइन का पुर्नसुधार कार्य किया गया है।

*****

अनुलग्नक-I

"यमुना नदी की सफाई" के संबंध में दिनांक 25.07.2024 को लोकसभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 496 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

<u>जिन शीर्षों के अंतर्गत निधियों का व्यय हुआ उनका परियोजना-वार विवरण</u>

क्र. सं.	परियोजना घटक का नाम	एएएंडईएस (रू. करोड़ में)	बजट शीर्ष
1	2	4	5
	दिल्ली में		
1	कोंडली अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र (डब्ल्यूडब्ल्यूटीपी) जलग्रहण क्षेत्र में "ट्रंक सीवर सं. 4, (के1) का पुर्नसुधार"	87.43	वाईएपी-III जेआईसीए सहायता प्राप्त-ईएपी
2	कोंडली डब्ल्यूडब्ल्यूटीपी जलग्रहण क्षेत्र में "ट्रंक सीवर सं. 5 (के2) का पुर्नसुधार"	83.4	-वही-
3	कोंडली डब्ल्यूडब्ल्यूटीपी जलग्रहण क्षेत्र ('के-4') में 700-900 एम एम की डीआई पाइपों के प्रेशर मेन्स उपलब्ध कराना और उन्हें बिछाया जाना"	59.13	-वही-
4	रिठाला (आर1ए) में अशोक विहार और जहांगीरपुरी क्षेत्र में 600 मिमी से 1400 मिमी तक के आकार के सीवरों का पुर्नसुधार"	43.92	-वही-
5	रिठाला डब्ल्यूडब्ल्यूटीपी जलग्रहण क्षेत्र में भारत नगर एसपीएस से पीतमपुरा ('आर-1बी') तक "1200 मिमी के सीवर उपलब्ध कराना और बिछाया जाना"	45.4	-वही-
6	"मौजूदा 182 एमएलडी रिठाला फेज-I एसटीपी (आर2) का पुर्नसुधार और उन्नयन"	211.79	-वही-
7	"कोंडली फेज- I, II और III डब्ल्यूडब्ल्यूटीपी (45, 114, 45 एमएलडी) (के3) का पुर्नसुधार और उन्नयन"	239.11	-वही-
8	"ओखला ('ओ') में 564 एमएलडी (124 एमजीडी) डब्ल्यूडब्ल्यूटीपी का निर्माण"	665.78	-वही-
9	दिल्ली के कोरोनेशन पिलर पर डीबीओ आधार पर 10 वर्ष की ओएंडएम के साथ 318 एमएलडी (एमजीडी) डब्ल्यूडब्ल्यूटीपी का निर्माण	515.08	-वही-
	कुल	**1,951.04**	-वही-

*****